

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

कमांक:- प. 15(24)कार्मिक/क-2/75

जयपुर, दिनांक: 7.8.2007

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित) ।


परिपत्रादेश

वर्तमान में सीधी भर्ती में अनुजाति, अनुजनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कमशः 16 प्रतिशत 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इस विभाग के समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध -II एवं उपाबन्ध - III के अनुसार रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये हैं और ये सभी बिन्दु लम्बवत हैं ।

इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के लिए किया गया आरक्षण जैसे निःशक्तजन के लिए 3 प्रतिशत राजस्थान सिविल सर्विसेज (एब्जॉबशन आफ एक्स सर्विसेज) रूल्स, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं में 12½ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15 प्रतिशत आरक्षण है इसी प्रकार सभी सेवाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है और ये सभी आरक्षण दण्डवत माना गया है । क्योंकि इन्द्र साहनी के मामले में (ए.आई.आर. 1993 एस.सी.477) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में अनुज्ञात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।


राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 द्वारा रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजन हेतु सभी पदों पर कर दिया गया है जिन पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिए निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित किया गया है । इसी क्रम में कतिपय विभागों में भ्रान्तियां/शंकाएँ अभिव्यक्त की हैं कि आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अनुसार निःशक्तजन हेतु जो रोस्टर बिन्दु निर्धारित किए गए हैं, वे स्वतः समाप्त हो गये हैं । अतः इस स्थिति को स्पष्ट करने हेतु कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अतिक्रमण में एवं इस विभाग का समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के क्रम में सीधी भर्ती के लिए विद्यमान 100 बिन्दु रोस्टर अर्थात् उपाबन्ध - II में उपदर्शित मॉडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

जहाँ तक पदोन्नति का संबंध है, विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं है ।

  
(लोकनाथ सोनी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

  
शासन उप सचिव

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/खिलाडियों को सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का मॉडल रोस्टर

पद की क्रम संख्या	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए (अजा/अजजा/अपि.व) (16 % / 12% / 21% )	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (30 %)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (9 % )	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (12½ % केवल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (2 % केवल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा )	प्रवर्ग जिसके लिये पद चिन्हित किए जाने चाहिए (15 %केवल चतुर्थ श्रेणी सेवा )
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनारक्षित					
2.	अनारक्षित					
3.	अनारक्षित					
4.	अनारक्षित	महिला-1				
5.	अ.पि.व.					
6.	अनारक्षित					
7.	अजा-1	महिला-2				भू.पू.सै.-1
8.	अनारक्षित			भू.पू.सै.-1		
9.	अ.ज.जा.-1					
10.	अ.पि.व.-2	महिला-3				
11.	अनारक्षित					
12.	अनारक्षित					
13.	अजा-2					भू.पू.सै.-2
14.	अनारक्षित	महिला-4				
15.	अ.पि.व.-3					
16.	अनारक्षित			भू.पू.सै.-2		
17.	अजजा-2	महिला-5				
18.	अनारक्षित					
19.	अजा-3					
20.	अपि.व.-4	महिला-6				भू.पू.सै.-3
21.	अनारक्षित					
22.	अनारक्षित					
23.	अनारक्षित					
24.	अपि.व.-5	महिला-7		भू.पू.सै.-3		
25.	अजजा-3					
26.	अजा-4					
27.	अनारक्षित	महिला-8				भू.पू.सै.-4
28.	अनारक्षित					
29.	अपि.व.-6					
30.	अनारक्षित	महिला-9				
31.	अनारक्षित					
32.	अजा-6			भू.पू.सै.-4		
33.	अनारक्षित					भू.पू.सै.-5
34.	अजजा-4	महिला-10	अंधता या निम्न दृष्टि			
35.	अपि.व.-7					
36.	अनारक्षित					
37.	अनारक्षित	महिला-11				
38.	अजा-6					
39.	अपि.व.-8					
40.	अनारक्षित	महिला-12		भू.पू.सै.-5		भू.पू.सै.-6
41.	अनारक्षित					
42.	अजजा-5					
43.	अपि.व.-9					
44.	अजा-7	महिला-13				
45.	अनारक्षित					
46.	अनारक्षित					
47.	अनारक्षित	महिला-14				भू.पू.सै.-7
48.	अपि.व.-10			भू.पू.सै.-6		
49.	अनारक्षित					
50.	अजा-8	महिला-15			खिलाडी-1	
51.	अजजा-6					

52.	अनारक्षित					
53.	अपिव-11					भूपू.सं.-8
54.	अनारक्षित	महिला-18				
55.	अनारक्षित					
56.	अनारक्षित			भूपू.सं.-7		
57.	अजा-9	महिला-17				
58.	अपिव-12					
59.	अजजा-7					
60.	अनारक्षित	महिला-18				भूपू.सं.-9
61.	अनारक्षित					
62.	अपिव-13					
63.	अजा-10					
64.	अनारक्षित	महिला-19		भूपू.सं.-8		
65.	अनारक्षित					
66.	अनारक्षित					
67.	अजजा-8	महिला-20	श्रवण शक्ति की क्षीणता			भूपू.सं.-10
68.	अपिव-14					
69.	अजा-11					
70.	अनारक्षित	महिला-21				
71.	अनारक्षित					
72.	अपिव-15			भूपू.सं.-9		
73.	अनारक्षित					भूपू.सं.-11
74.	अनारक्षित	महिला-22				
75.	अजजा-9					
76.	अजा-12					
77.	अपिव-16	महिला-23				
78.	अनारक्षित					
79.	अनारक्षित					
80.	अनारक्षित	महिला-24		भूपू.सं.-10		भूपू.सं.-12
81.	अपिव-17					
82.	अजा-13					
83.	अनारक्षित					
84.	अजजा-10	महिला-25				
85.	अनारक्षित					
86.	अपिव-18					
87.	अनारक्षित	महिला-26				भूपू.सं.-13
88.	अजा-14			भूपू.सं.-11		
89.	अनारक्षित					
90.	अनारक्षित	महिला-27				
91.	अपिव-19					
92.	अजजा-14					
93.	अनारक्षित					भूपू.सं.-14
94.	अजा-15	महिला-28				
95.	अनारक्षित					
96.	अपिव-20			भूपू.सं.-12		
97.	अनारक्षित	महिला-29				
98.	अजा-16					
99.	अजजा-12					
100.	अपिव-21	महिला-30	गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क संबंधी फाजिल		खिलाडी-2	भूपू.सं.-15

**नोट:-** इसी सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दण्डवत आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनुजाति, अनुजनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है । क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या दण्डवत प्रवर्ग विशेष के लिए पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिए तय किये गये हैं । उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं. 34 अजजा के लिए निर्धारित है इसी बिन्दु पर महिला एवं निःशक्तजन (अंधता) भी आते हैं जो कि दण्डवत आरक्षण है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग को 34वां बिन्दु दिया जावे और वह निःशक्त भी हो । अतः तात्पर्य यह है कि 34 पदों में 10 महिलाओं के पद बनते हैं । एक पद निःशक्तजन के लिए बनता है तो 10 महिलाएँ किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और निःशक्त व्यक्ति भी किसी वर्ग का हो सकता है । ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य,अजा,अजजा एवं अपिव)अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा ।